न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामगोपाल बनाम अशोक वगै

दावा

मु.नं. – 182/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13-9-21	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20-9-21 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
20-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30-9-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
30-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8-11-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
08.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– नाथूसर में पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान् उपस्थित। प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत– नाथूसर में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण नं. 1/4 रामगोपाल व वादी सं. 3 बजरंग लाल व वादी सं. 4 राजेन्द्र की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण के द्वारा बहस की गई। उपस्थित पक्षकारान् के हस्ताक्षर करवाये गये। वकील वादीगण एंव उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में	सुशील कुमार शर्मा बजरंग लाल शर्मा राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामगोपाल बनाम अशोक

तारीख हुक्म	हुक्म-या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु. नं. - 86/2018
	बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। जिससे वकील प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति प्रदान की। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को ग्राम पंचायत–नाथूसर में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।
	08/11/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– नाथूसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

कैम्पः— नाथूसर

पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
82/2018	2018/277	17.09.2018	08.11.2021

उनवान

संशोधित शीर्षक वादपत्र

1. **रामगोपाल पुत्र स्व. महादेव मृत्तक के बजाय :—**
   1/1 श्रवणी देवी पत्नि स्व. रामगोपाल
   1/2 मुरारीलाल पुत्र स्व.रामगोपाल
   1/3 लोकेश पुत्र स्व. रामगोपाल
   1/4 सुशील पुत्र स्व. रामगोपाल
   1/5 ललिता पुत्री स्व. रामगोपाल
   1/6 ममता पुत्री स्व. रामगोपाल
2. बाबूलाल पुत्र स्व. महादेव
3. बजरंगलाल पुत्र स्व. महादेव
4. राजेन्द्र पुत्र स्व. महादेव

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ढ़ाणी चोटियावाली तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादीगण

बनाम्

1. अशोक पुत्र स्व. श्री बंशीधर
2. श्रीराम पुत्र स्व. बंशीधर
3. सीताराम पुत्र स्व. श्री [illegible]
4. **कैलाश पुत्र स्व. गणपत मृत्तक के बजाय :—**
   4/1 विजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री कैलाश
   4/2 विशाल पुत्र स्व. श्री कैलाश
   4/3 हंसा देवी पत्नि स्व. कैलाश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

8/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

4/4 मीनू पुत्री स्व. श्री कैलाश
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ढ़ाणी चोटियावाली तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

5. वासुदेव पुत्र स्व. गणपत जाति ब्राह्मण निवासीगण ढ़ाणी चोटियावाली तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री कमल कुमार शर्मा, वादीगण अभिभाषक।
श्री फूलचन्द सामोता, प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 6

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 266 जिसके नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 रकबा 3.07 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी मृतक हनुमान पुत्र लच्छा के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। पक्षकारान आपस में एक ही परिवार व सजरा खानदान से हैं। पक्षकारान के अन्य कृषि भूमियां और हैं जिनकी खातेदारी वरवक्त द्वितीय सैटलमेन्ट के समय कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी दर्ज हो चुकी हैं, परन्तु वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि जो मृतक हनुमान पुत्र लच्छाराम के नाम दर्ज हैं। वह सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादीगण के पिता के हक हिस्से व बंटवारे में आया हुआ हैं। उक्त भूमि पर वादीगण का पिता अपने जीवनकाल में पूर्णतया काबिज काश्त रहा हैं। वादीगण के पिता की मृत्यु 2011 में हो चुकी हैं। पिता की मृत्युपरान्त वादीगण तन्हा शुरू से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण या इनके बुजुर्गो का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा हैं। इस प्रकार वादीगण बहिस्सा बराबर उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट कर्ता खानदान होने की वजह से वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की खातेदारी अकेले हणमान पुत्र लच्छा के नाम दर्ज हुयी है जिसकी पुनरावृति द्वितीय सैटलमेन्ट में होकर उसी अनुसार लगातार खातेदारी पूर्ववत चली आ रही है। वादीगण को उक्त भूमि की खातेदारी बाबत् पूर्व में कोई जानकारी नही रही हैं। ना ही इस बात की कभी कोई आवश्यकता ही महसूस हुयी हैं। वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण व इनके बुजुर्गान के मध्य आपस में मधुर सम्बन्ध रहे हैं। इसी के चलते आपस में कोई बेइमानी व बदनियति भी नही रही हैं। इसी के चलते उक्त भूमि की खातेदारी पूर्ववत् वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट के समय से यथावत् चली आ रही हैं। वादीगण ने न्याय आपके द्वार शिविर में उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु जवाबदेही की नकल लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो उक्त खातेदारी जरिए न्यायालय में वाद दायर होकर निर्णय होने पर ही खातेदारी दर्ज कराने बाबत् कहां गया हैं। इसी कारण वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर वाद नियोजन आवश्यक हुआ हैं। वादीगण द्वारा नकल जवादबेही व अन्य रिकार्ड की नकल प्राप्त कर प्रतिवादीगण से इस बाबत् चर्चा की गयी व खातेदारी वादीगण के दर्ज कराने बाबत् प्रतिवादीगण को इस बाबत् कहां तो पहले तो हां करते रहे परन्तु अब जमीन की बढ़ती हुई कीमतों के चलते प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गयी हैं इसी कारण उक्त लोग भूमि पर जबरन कब्जा करने की एलानियां धमकी देने से वाद कारण पैदा होकर लगातार हो रहा हैं यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया। वादीगण ने समय–समय पर भूमि को अपनी स्वंय की मेहनत व लाखो रूपये लगाकर उन्नत एंव उपजाऊ बनाया हैं। भूमियों को समतल करवाया हैं। वादीगण उक्त भूमियो पर वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज होने के कारण उक्त भूमियों खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। खातेदारी के अभाव में वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं। खातेदारी को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वादीगण को वंचित रहना पड़ रहा हैं इस कारण भी उक्त भूमि की खातेदारी उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। वादीगण उक्त वर्णित भूमियों पर पूर्णतया काबिज काश्त बहैसियत मालिक काबिज काश्त हैं। वर्तमान में वादीगण अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में बजारे की फसल काश्त कर रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में जबरन कब्जा कर लिया जाकर या भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जावेगा तो वादीगण अपने कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि से वंचित हो जावेगें, इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

06/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पांबद करवाने के अधिकारी हैं। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें:– यह कि घोषणा की जावें कि भूमि खसरा नम्बर 1224 रकबा 3.07 हैक्टर तन् ग्राम रतनुपरा तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज खातेदार हनुमान पुत्र श्री लच्छा के नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/3 स्सि का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश जरिए डिक्री प्रदान किया जावें व उक्त भूमि की खातेदारी से मृतक हणमान पुत्र श्री लच्छा का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे वादपत्र में उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 266 जिसके नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 रकबा 3.07 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वंय करें ना दीगर से कराने बाबत उक्त दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 की ओर से श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में दिनांक 30.09.2019 को इकबाली जवाब दावा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार कर लिया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण सं. 4 के फौत होने पर उनके कायम मुकाम वारिसान् को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक पेश किया गया । प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी मुरारीलाल एंव वादी गवाह में विनोद कुमार व सुनील कुमार के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है। वादी संख्या 1/4 सुशील कुमार, वादी संख्या 3 बजरंग लाल, वादी सं. राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– नाथूसर के मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने से एंव ग्राम पंचायत नाथूसर के द्वारा इस आशय का वारिसान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाने से एंव शिविर में उपस्थित पक्षकारान् ने भी अपनी–अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने से उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण का निरतारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के द्वारा वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने से तथा आज आयोजित शिविर में अपनी सहमति प्रदान किये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के मृत्तक पिता हनुमान पुत्र लच्छा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 आपस में एक ही परिवार से है तथा मृत्तक हनुमान के वारिसान् पौत्रगण–पौत्रीगण ही है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 कुल रकबा 3.07 हैक्टर में दर्ज 1/3 हिस्सा की खातेदारी में वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से मृत्तक हनुमान पुत्र लच्छा का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1224 कुल रकबा 3.07 हैक्टर में दर्ज 1/3 हिस्सा की खातेदारी में वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से मृतक हनुमान पुत्र लच्छा का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

08/11/21

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:– नाथूसर

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के तहत आयोजि[illegible] ग्राम पंचायत:– नाथूसर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:48 IST
Reason: SelfAttested

08/11/21

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:– नाथूसर